यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**II** राज्य कर, खटीमा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**II** राज्य कर, खटीमा के माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री र व भूषण लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01.03.2018 से 12.03.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 10/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः खटीमा

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	-
2015-16	9860.32
2016-17	9168.53

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	-	-	174.16	145.84	28.32	-
2015-16	-	-	शून्य	-	185.25	152.96	32.29	-
2016-17	-	-	-	-	240.80	214.74	26.06	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर - डप्टी क मश्नर - सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**II** राज्य कर, खटीमा को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**II** राज्य कर, खटीमा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह 03/2016, 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2017, 05/2016 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो (क)

प्रस्तर.01:–अनियमित आई0टी0सी0 दिये जाने एवं अर्थदण्ड के अनारोपण के कारण राजस्व क्षति `7.13 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अध्याय–8 की धारा–58 की उपधारा (xi) में इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है। तो पांच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, का प्रावधान किया गया है।

इकाई के माह 10/2015 से 03/2017 तक अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्व श्री कैलास चन्द्र शम्भूदयाल गल्ला मंडी सितार गंज खटीमा पेस्टी साइड खाद एवं गल्ले के व्यवसायी के रुप में पंजीकृत है। व्यौहारी की संगत वर्ष की पत्रावली कर निर्धारण वर्ष 2013–14 के अनुसार व्यौहारी द्वारा ली गयी आई0टी0सी0 `2342863.00 में से गलत टिन नं0 05004692012 सर्वश्री syngenta India Ltd से निम्नलिखित विवरण के अनुसार क्रय की गयी तथा इस पर `178135.00 आई0टी0सी0 क्लेम किया गया जिसे करनिर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य किया गया –

क0सं0	दिनॉक	बिल सं0	क्रय की धनराशि	क्लेम की गयी आई0टी0सी0 5 प्रतिशत की दर से
1	11.06.13	4732103707	280392.00	14019.00
2	01.07.13	4732103730	40750.00	2037.00
3	11.07.13	4732103749	27799.00	1388.00
4	16.07.13	4832100743	76737.00	3836.00
5	30.07.13	3170867391	40494.00	2024.00
6.	05.08.13	4732103789	98100.00	4905.00
7.	14.08.13	4732103799	39117.00	1955.00
8	16.08.13	3170873572	355734.00	17786.00
9	24.08.13	3170879150	332827.00	16641.00
10	29.08.13	3170881568	378726.00	18936.00
11	13.09.13	4732103868	63442.00	3172.00
12	23.10.13	4732103893	13350.00	667.00
13	30.10.13	4732103912	13350.00	667.00
14	30.10.13	4732103916	3655.00	182.00
15	27.11.13	4732103938	579808.00	28990.00
16	18.12.13	4732103961	60571.00	3028.00
17	23.12.13	4732103989	334280.00	16714.00
18	07.01.14	4732104003	41785.00	2089.00
19	15.01.14	4732104014	81843.00	4092.00
20	15.01.14	4732104015	21300.00	1065.00
21	27.01.14	4732104037	235299.00	11764.00
22	03.02.14	4732104037	43694.00	2184.00
23	06.02.14	4732104057	137404.00	6870.00
24	13.02.14	4732104076	51152.00	2557.00
25	21.02.14	4732104083	23955.00	1197.00
26	13.03.14	473214099	153701.00	7685.00
27	26.03.14	4732104114	33705.00	1685.00
योग				**178135.00**

जबकि उक्त टिन नं.05004692012 पर अन्य व्यौहारी सर्वश्री M/S Stanes and Company LTD पाया गया। अतः अनियमित अनुमन्य की गयी आई0टी0सी0 `178135.00 वापसी योग्य है एवं उल्लिखित प्रावधान के अनुसार अनियमित दावा की गयी आई0टी0सी0 पर `534405.00 (178135×3) अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी इस प्रकार वापसी योग्य आई0टी0सी0 एवं अर्थदण्ड `712540.00 (178135+534405) प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.01:– छुपी बिक्री(अन्तर) के कारण कर का अनारोपण `22.15 लाख।

इकाई के माह 10/2015 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि आटोपार्टस के निर्माण एवं बिक्री के लिये पंजीकृत ब्यौहारी सर्वश्री पी0बी0जी0 इण्डस्ट्रीज सितार गंज व्यापार वर्ष 2013–14 की पत्रावली के साथ संलग्न करनिर्धारण वाद के आरम्भिक स्टाक,खरीद,बिक्री,व अन्तिम स्टाक में अन्तर पाया गया:–

आरम्भिक स्टाक	`16,44,050.00
खरीद	`10,46,45,461.00
योग	`10,62,89,511.00
(–)अन्तिम स्टाक	`32,39,463.00
वास्तविक बिक्री	`10,30,50048.00
कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री	`8,66,43,102.00
अन्तर(छुपी बिक्री)	`1,64,06,946.00

इस प्रकार खरीद बिक्री में अन्तर या छुपी बिक्री पर आटोपार्टस पर निर्धारित कर दर 13.5 प्रतिशत कर दर से `22,14,937.00(16406946×13.5) कर अनारोपित रहने से इन्कार नही किया जा सकता।

2 .नियमानुसार एक करोड या अधिक के टर्न ओवर पर बैलेसशीट लगायी जानी थी, किन्तु उक्त पत्रावली के साथ बैलेन्सशीट नही पायी गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा टिप्पणी की गयी कि व्यौहारी द्वारा निर्माण के साथ–साथ जाव वर्क किया जाता है,प्रश्नगत संव्यवहार में कुल खरीद प्लांटमशीनरी,रा मटेरियल,पैकिंग मटेरियल,कन्जूमेबिल गुंडस की है जबकि विक्रीत धनराशि केवल रा मटेरियल से निर्मित वस्तुओं की है। अतः आपत्ति निक्षेप योग्य है।

संप्रेक्षा को उत्तर इस आधार पर अमान्य है क्योंकि रा मटेरियल,पैकिंग मटेरियल,कन्जूमेबिल गुंडस की कीमत अंकित है, मात्रा नही,मात्रा कन्जूम होगी उसकी कीमत नही। रा मटेरियल,पैकिंग मटेरियल,कन्जूमेबिल गुंडस की कीमत निर्मित वस्तु में तथा प्लांटमशीनरी,रा मटेरियल,पैकिंग मटेरियल,कन्जूमेबिल गुंडस की शेष धनराशि अन्तिम स्टाक में आयेगी।

अत एव छुपी बिक्री (अन्तर) पर अनारोपित कर `22,14,937.00 का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.02:–बिलम्ब से जमा कर पर अर्थदण्ड का अनारोपण `1.29 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2010 की धारा 58 की उपधारा –8 के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर, देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर– द्वितीय, राज्य कर, खटीमा के गठन ति थ से माह मार्च 2017 तक के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि ं निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा अपना देय कर बिलम्ब से जमा किया गया था :–

क्र सं0	व्यौहारी का नाम सर्वश्री	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर की देय तिथि	जमा की दिनॉक	बिलम्ब माह/दिन	धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	आनन्द ट्रेडिंग सितारगंज	12–13	11/13	25.12.13	30.12.13	5दिन	172007.00	17200.00
2	गाजियाबाद प्रीसिजन प्रोडक्ट प्रा0लि0सितारगंज	12–14	08/13	25.09.13	03.10.13	1माह 07दिन	11,19,831.00	1,11,983.00

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी

अतः अनारोपित अर्थदण्ड `1,29,183.00 का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.03:– कर का अनारोपण `0.11 लाख।

व्यौहारी सर्वश्री नारायण सिंह एण्ड संस सितारगज खटीमा टिन 05002700214 एक पंजीकृत व्यौहारी है। संगत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश 525 दिनॉक 20.02.2016 पारित किया गया। करनिधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली व बैलेंसशीट की जॉच में पाया गया कि फिक्स एसेटस में `80,002.00 का इनवर्टर व बैटरी का बिक्रय किया गया किन्तु उक्त पर कर निर्धारण आदेश में कोई टिप्पणी नही की गयी।

संम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी कि "व्यापारी की बैलेन्सशीट जो कि सर्वश्री सरोज जोशी एण्ड कं0 द्वारा आडिट की गयी है, में व्यापारी की सम्पूर्ण बिक्री और सम्पूर्ण खरीद को दिखाया गया है, जिसम इनर्वटर बैटरी की बिक्री `80,002.00 को नही दिखाया गया है। व्यापारी द्वारा कैपिटल गेन्स बिक्रीत है या नही जॉचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।"

अतः अनरोपित कर `10800.00(80002×13.5)का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	शून्य	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**II** राज्य कर, खटीमा तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अव ध
(i)	श्री तारकेश्वर मश्रा	उपायुक्त (क0नि0)-II खटीमा	10/15 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-**II** राज्य कर, खटीमा को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र